# पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन

अजमेर में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध जताया।

**अजमेर, (कासं)।** छोटी नागफनी, टंकी के पास का इलाका एवं तारा शाह नगर आदि क्षेत्रों में गत लंबे समय से चली आ रही पानी की विकट समस्या को लेकर लगातार जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे

- विभाग के कार्यालय के बाहर मटके फोड़े

नागरिकों का जल समस्या का निदान नहीं होने पर आखिर सोमवार को गुस्सा फूट ही पड़ा। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य एवं उपाध्यक्ष अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने नल गोदाम के जिला कार्यालय पर भारी प्रदर्शन करके अपने आक्रोश का इजहार किया व उन्होंने विभाग के कार्यालय के बाहर मटके फोड़े।

उल्लेखनीय है कि नागफनी पानी की टंकी के पीछे तारा शाह नगर क्षेत्र के लिए, पानी की समस्या के निदान के हेतु सरकार ने तीन पानी की टंकियां बनवाई हुई है, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से जल वितरण के चलते और कई सालों से लगातार गैर तकनीकी तरीके से ऊपर से नीचे की ओर गलत तरीके से बेन की हुई लाइनों से कनेक्शन दे देने से ,ऊपरी क्षेत्र के लोगों को पानी मिलना बंद हो गया। उसके बाद भी नीचे के क्षेत्र के लोग हेवी पावर की मोटर लगाकर पानी खींच लेते हैं।

उससे ऊपरी क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी के ऊपर सभी का सामान अधिकार है, सभी को पानी मिलना चाहिए। लेकिन किसी को तो अतिरिक्त पानी मिल जाए और किसी को बिल्कुल भी ना मिले तो नागरिकों में गुस्सा बढ़ना तो स्वाभाविक है। सड़क के किनारे अथवा ऐसी जगह बसे हुए लोगों को तो जलदाय विभाग टैंकर के माध्यम से भी पानी की सप्लाई कर देता है, लेकिन जहां पानी का टैंकर नहीं पहुंच सकता वहां के लोगों के लिए पीने का पानी एक एक बूंद अमृत के समान है। जिसके लिए, जलदाय विभाग पूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है।

इस अवसर पर प्रताप सिंह यादव, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी एस.सी. विभाग के उपाध्यक्ष सौरभ यादव, धर्माराम गुर्जर,वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता बदरूद्दीन कुरैशी, मेहरून्निसा,रोजिना बेगम,नीतू, मकसूदा, कमरू निशा, मोहम्मद सलीम मोहम्मद, मदीन नौशाद अली नौशाद मलिक सैकड़ों नागरिक शामिल थे।

# अजमेर डिस्कॉम ने 3433 जगह बिजली चोरी पकड़ी

- 842 जगह विद्युत के दुरुपयोग के मामले पकड़े, 8.60 करोड़ रूपये लगाया जुर्माना

**अजमेर, (कासं)।** अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष सतर्कता अभियान के तहत पिछले सप्ताह 19915 जगहों पर छापा मारा। इनमें 3433 जगहों पर बिजली चोरी तथा 842 जगहों पर दुरुपयोग के मामले सामने आये। इन पर कुल 8.60 करोड़ रूपये जुर्माना लगाया गया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक एनएस निर्वाण ने बताया कि निगम की ओ एण्ड एम व विजिलेंस शाखा के अलावा मीटर एण्ड प्रोटेक्शन शाखा, प्रोजेक्ट विंग तथा स्टोर विंग के अभियंताओं को भी सतर्कता जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि निगम के इंजीनियरों ने 11 जिलों में 19915 परिसरों की जांच की। जिसमें 3433 विद्युत चोरियां पकड़ी गई तथा 842 मामले विद्युत के गलत इस्तेमाल के सामने आये है। निगम ने इनके विरुद्ध 8.60 करोड रूपये का जुर्माना लगाया है।

निर्वाण ने बताया कि डिस्कॉम की टीम में सबसे अधिक नागौर जिले के अभियंताओं ने 529 विद्युत चोरी के मामले पकड़े जिन पर 92.51 लाख रूपये जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर वृत में 66 मामलों पर 19.27 लाख, अजमेर जिलावृत में 81 मामलों पर 16.71 लाख, भीलवाड़ा में 478 मामलों पर 82.16 लाख, सीकर में 402 मामलों पर 91.11 लाख, झुंझुनू में 426 मामलों पर 81.67 लाख, उदयपुर में 118 मामलों पर 15.48 लाख, राजसमंद में 77 मामलों पर 8.68 लाख, बांसवाड़ा में 172 मामलों पर 18.48 लाख, डूंगरपुर में 75 मामलों पर 9.50 लाख, चितौड़गढ़ में 428 मामलों पर 69.73 लाख तथा प्रतापगढ़ में 77 मामलों पर 11.06 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त निगम की एम एण्ड पी विंग ने 124 मामलों पर 32.52 लाख, विजिलेंस विंग ने 267 मामलों पर 79.37 लाख, प्रोजेक्ट विंग ने 74 मामलों पर 20.33 लाख व स्टोर विंग ने 39 मामलों पर 7.24 लाख रुपयों की विद्युत चोरियां पकड़ कर जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त डिस्कॉम ने 842 जगह विद्युत के गलत इस्तेमाल के मामलें दर्ज किए जिस पर 2.04 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया गया।

प्रबन्ध निदेशक निर्वाण ने बताया कि आने वाले समय में इस अभियान को और अधिक गति दी जाएगी, जिससे विद्युत छीजत में कमी की जाकर सरकार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

# कानिटकर आज अजमेर में

**अजमेर, (कासं)।** महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय अजमेर, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल मुकुल कानिटकर मंगलवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में प्राण विद्या से कार्य संस्कृति विषय पर एक संवाद का संबोधन करेंगे। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला की उपस्थिति होगी।


## कार्यालय ग्राम पंचायत मनोहरपुरा पंचायत समिति अरांई (अजमेर)

क्रमांक- ग्रापंम/निर्माण/2022-23/07 दिनांक 07.06.2022

**सीमित निविदा सूचना**

पंचायत समिति अरांई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत मनोहरपुरा के ग्राम लक्ष्मीपुरा में कार्य का नाम:- रामेश्वर बैरवा के मकान से बिरदा बैरवा के मकान की ओर सीसी मय नाली निर्माण कार्य के लिए सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

**NIB NO. ZAJ223AO388, ZAJ223WSLB00415**

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मनोहरपुरा, पं.स. अरांई ( अजमेर ) — सरपंच, ग्राम पंचायत मनोहरपुरा, पं.स. अरांई ( अजमेर )

## कार्यालय ग्राम पंचायत डबरेला पंचायत समिति अरांई (अजमेर)

क्रमांक- ग्रापड/निर्माण/2022-23/07 दिनांक 07.06.2022

**सीमित निविदा सूचना**

पंचायत समिति अरांई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत डबरेला कार्य का नाम गिरधारी पटेल के मकान से जीवणपुरा मोड़ की ओर नाला निर्माण कार्य के लिए सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

**NIB NO. ZAJ2223AO389, ZAJ2223WSLB00416**

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डबरेला, पं.स. अरांई ( अजमेर ) — सरपंच, ग्राम पंचायत डबरेला, पं.स. अरांई ( अजमेर )


# आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई

**मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)।** राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से कृष्णापुरी निवासी मृतक मनीष शर्मा पुत्र पवन शर्मा के परिवारजनों को दुःखद घड़ी में सांत्वना देकर तत्कालीन सहायता के रूप में एक लाख रूपये भेंट किये। अध्यक्ष चन्द्रशेखर शर्मा की अगुवाई में शिष्टमंडल ने कहा कि परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण महासभा ने यह निर्णय लिया।

इस दौरान समाजसेवी प्रो.आर पी शर्मा, जगदीश मंगलहारा, ओमप्रकाश शर्मा, रामचन्द्र हरितवाल, कपिल चौटिया, बालमुकुंद शर्मा, सुशील दाधीच, राजेंद्र त्रिपाठी, गोपाल ओझा, रिषी गौड, मनीष कौशिक उपस्थित रहे। गौरतलब है की पिछले दिनों 15-16 युवकों द्वारा एक राय होकर चाकू, डंडों सरिये से हमला कर मनीष की हत्या कर दी गई थी।

# जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया

**अजमेर, (कासं)।** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रामपाल जाट ने सोमवार को लोहागल स्थित राजकीय जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षिका पुर्निमा उपस्थित रही।

प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि सोमवार को जनाना अस्पताल का सामान्य निरीक्षण किया, जिसके अंतर्गत मेटरनिटी केयर सेन्टर एवं नवजात रोगी शिशु केयर यूनिट की व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन वहां पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था। इस वजह से दो-दो शिशुओं को एक ही पालने पर पाया। इस प्रकार अस्पताल अधीक्षिका से जाहिर किया कि नया शिशु केयर सेन्टर निर्माणाधीन है जिसको भी देखा गया। सम्भवतः नया शिशु केयर सेन्टर चालू होने के पश्चात् यह समस्या दूर हो जाएगी। एएनएम के रहने के लिए जनाना अस्पताल में कोई क्वार्टर उपलब्ध नहीं है। लेबर रूम की साफ-सफाई की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया। शिशु यूनिट में इन्क्यूबेटर उपलब्ध नहीं था। पानी की व्यवस्था उचित नहीं है एवं पानी की पूर्ति के लिए टैंकर्स मंगवाए जाते हैं।

निरीक्षण के दौरान सचिव जाट ने दीवारों के नीचले हिस्से पर उचित प्रकार से प्लास्टर नहीं हो रखा था। जनाना अस्पताल के अंदर जो शौचालय प्रसाधन इत्यादि प्रसुताओं के आवश्यक रूप से काम आने वाले है, वहां भी सूचारू रूप से सफाई व्यवस्था व अन्य अनियमितताएं पाई गई। अस्पताल प्रशासन में निर्धारित रूप से मेडिकल स्टाफ उपलब्ध था।

# घर के बाहर लगाए विद्युत पोल हटाने की लगाई गुहार

**मसूदा, (निसं)।** मसूदा स्थित रामतलाई निवासी नरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामपाल जांगिड़ ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भवरसिंह भाटी को पत्र प्रेषित कर बताया कि मेरे घर के सामने काफी साल पहले से ही 11 केवी विद्युत लाइन डाली हुई थी मेरे घर के सामने विद्युत पोल लगे थे लेकिन पिछले एक माह से मसूदा सहायक अभियंता द्वारा राजनीतिक दबाव में मेरी बिना अनुमति के लाइन शिफ्ट कर दी गई जिसमें मेरे घर के मुख्य द्वार पर वि. पोल लगा दिया तथा कुल 3 पोल लगाए गए जो बिल्कुल नाजायज है। सहायक अभियंता कार्यालय पर जाकर शिकायत पर बताया कि मेरे घर के बाहर लगे पोल को हटाया जाए मेरे वह मेरे परिवार विद्युत पोल से दुर्घटना का अंदेशा बना रहेगा। शिकायतकर्ता ने सहायक अभियंता पर रुपए लेने का आरोप भी लगाया और कहा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैंने सहायक अभियंता से वार्ता कर कहा था कि मेरे घर के बाहर से पोल को हटाया जाए लेकिन अभियंता ने कांग्रेस के उच्च पदाधिकारी का नाम लेकर बताया कि इनसे मेरी बात कराएं तभी आपका विद्युत पोल हटाया जा सकता है।

सहायक अभियंता त्रिलोक चौहान मसूदा इनका कहना है कि मैं क्यों किसी नेता से बात करने बात कहूंगा ना ही मैंने रुपए मांगे मेरे खिलाफ झूठी शिकायत है।

# तालाब में डूबने से बालक की मौत

**सरवाड़, (निसं)।** सरवाड़ शहर में शिव सागर तालाब में 10 वर्षीय बालक आर्यन पुत्र मोहम्मद अली उर्फ गुड्डू केकड़ी निवासी खिड़की गेट की तालाब में डूबने से मौके पर मौत हो गई। तालाब के गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से बालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सरवाड़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया।


## अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

क्रमाक: अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2022/2008 दिनांक 13/6/202

**सार्वजनिक सूचना**

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक पं. 11(8) नविवि/2020 दिनांक 24.2.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

| क्र. सं. | नाम आवेदक | योजना का नाम | प्लॉट नं. | कुल क्षेत्रफल | जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-1) के अनुसार भू-उपयोग | स्वीकृत भू-उपयोग | चाहा गया भू-उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. |
| 1. | श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री इन्द्र मूलानी | हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मुख्य) | भूखण्ड संख्या B-17A-1 | 84.00 वर्गमीटर | मिश्रित | आवासीय | सामान्य व्यवसायिक |

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा

सदस्य सचिव, ( भू-उपयोग परिवर्तन समिति ) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर


# भारत माता यात्रा पुष्कर पहुंची

**पुष्कर, (निसं)।** जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के तत्वावधान में भारत माता यात्रा पुष्कर पहुंची। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर राष्ट्रीय जन आंदोलन का भाव विकसित करने के लिए 2 अप्रैल को देशनोक, करणी माता के मंदिर से जनसमर्थन जुटाने हेतु इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। राजस्थान के सभी जिले व विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई यह यात्रा पुष्कर अजमेर पहुंची जहां से यात्रा जयपुर के लिए निकलेगी। इस अवसर पर यात्रा के प्रभारी महेंद्र सिंह मझेवला ने यात्रा की पृष्ठभूमि रखी।जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने सभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर महेंद्र सिंह मझेवला, आंदोलन के जिला अध्यक्ष राजाराम पंचारिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह, पालिका के पूर्व चेयरमैन सूरज नारायण पाराशर, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पार्षद रोहन बाकोलिया, नंदू पवार, जगदेव सिंह, नांद के पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह देवनगर, भीमराज चौधरी खोरी, रविंद्र सिंह, सज्जन सेन सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


## नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम मोहम्मद जुनैद से बदलकर जुनैद मोहम्मद रख लिया है, भविष्य में समस्त संदर्भों हेतु मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए

-जुनैद मोहम्मद
482/6, लंगरखाना गली, दरगाह शरीफ, अजमेर



## RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Corp. Office : Priyadarshini, E.E. Highway, Sion, Mumbai 400 022.

CIN: L24110MH1978GOI020185

(Area Office Address : RCF Ltd, 40, Jadhon Nager 'B', Durgapura,Jaipur-PIN 302018)
Tel. No. 0141-2720334, 2554597, 2554979 mail ID rcfrajasthan@gmail.com

In pursuance to the order No. S.O. 2900(E) dated 24.10.2015 and its amendment dated 30.10.2017 issued by Department of Agriculture, Co-Operation and farmer's welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare GOI. RCF Ltd here by notifies that RCF Ltd intends to sell 100% water soluble mixture of fertilizer as per specification given. NPK 19:19:19, Moisture Percent by weight, max-0.5%,N(T) min-19%, (NO3-N max-4%, NH4-N min-4.5%, Urea N max-10.5%), WP P2O5 min-19%, WS K2O min-19%, Na as NACL max-0.5%, Insoluble matter in H2O max - 0.5%, Lead, Cadmium & Arsenic max-Not traceable.

Supply and sales of above Sujala WSF19:19:19 grade will be done after 30 days of intimation.

State Incharge (Rajasthan)

Let us grow together


# चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश गिरफ्तार

- दोनों चोर संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे
- दोनों आरोपियों से 25 किलो 400 ग्राम तांबे का तार बरामद किया

**अजमेर, (कासं)।** रामगंज थाना पुलिस ने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से राजकीय माल चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर वहीं पर संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। पुलिस ने दोनों से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। आरोपियों को पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

रामगंज थाने के एएसआई नंद भंवर सिंह ने बताया कि ब्यावर रोड स्थित एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद सारस्वत ने थाने पर एचएमटी फाउंड्री के पीछे एवं पेंटिंग विभाग फैक्ट्री के पीछे से संस्थान का राजकीय माल चोरी करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में सुरक्षा अधिकारी की ओर से दो जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया और कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसआई सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर एचएमटी के नजदीक होटल से आरोपी गड्डी मालियान निवासी राहुल पवार (26) और उसके साथ ही हरिजन बस्ती निवासी विकास (22) को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से 25 किलो 400 ग्राम तांबे का तार बरामद किया गया है।


## आम सूचना

मैं श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भंवरलाल निवासी-962ए/10, सन्दर विलास, दौलत बाग के सामने, अजमेर सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री कुसुम जिसका जन्म दिनांक 12.01.2004 को व मेरी पुत्री तन्नू जिसका जन्म दिनांक 03.02.2006 को उपरोक्त पते पर अजमेर में ही हुआ था मेरी दोनों पुत्रियों ने किसी भी शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त नहीं की है तथा मेरी दोनों पुत्रियों के पास कोई स्कूल. संबंधी दस्तावेज नहीं है मैनें अपनी दोनों पुत्रियों का जन्म प्रमाण पत्र किसी शहर या जिले से नहीं बनवाया। यह आम सूचना मैं अपनी पुत्री कुसुम व तन्नू के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दे रहा हूँ।

सुरेश कुमार पुत्र श्री भंवरलाल निवासी-962ए/10, सुन्दर विलास, दौलत बाग के सामने, अजमेर मो. नं.-9611394391



## अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

क्रमाक: अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2022/1989/ दिनांक 9/6/202

**सार्वजनिक सूचना**

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक पं. 11(8) नविवि/2020 दिनांक 24.2.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

| क्र. सं. | नाम आवेदक | योजना का नाम | प्लॉट नं. | कुल क्षेत्रफल | जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-1) के अनुसार भू-उपयोग | स्वीकृत भू-उपयोग | चाहा गया भू-उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. |
| 1. | श्री सचिन हासानी पुत्र श्री किशोर हासानी एवं श्री दिनेश हासानी पुत्र श्री दीपक हासानी | राजस्व ग्राम बोराज | खसरा नं. 822 823 | 611.48 वर्गमीटर | मिश्रित | आवासीय | सामान्य व्यवसायिक |

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा

सदस्य सचिव, ( भू-उपयोग परिवर्तन समिति ) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर


# देवनानी ने सड़क और नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया

**अजमेर, (कासं)।** पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि वे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। चौतरफा विकास कराए जा रहे हैं। लोगों को

- अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास में नहीं आने देंगे कोई कमी : देवनानी
- वर्षों से समस्या झेल रहे कबीर नगर के लोगों ने देवनानी का जताया आभार

पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने सड़क और नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

समस्याओं से राहत दिलाना उनकी प्राथमिकता है। देवनानी सोमवार को लोहागल रोड स्थित संत कबीर नगर में सड़क व नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के बाद क्षेत्रवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि लोहागल में तीन और सड़कें बनाए जाने की अभिशंसा की गई है। स्वीकृति मिलते ही ग्राम लोहागल में अरावली नगर, नारीशाला मुख्य सड़क, सिंहभूमि मुख्य सड़क एवं कबीर नगर गली नं. 2 सड़कों का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टूटी-फूटी सड़कों से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अब चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है और टूटी सड़कों के गड्ढों में पानी नहीं भर जाए, इसलिए वे सड़कों के निर्माण कार्य कराने को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि भविष्य में नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

देवनानी का कबीर नगर के निवासियों ने आभार जताते हुए स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व महापौर धर्मेन्द्र गहलोत, शहर भाजपा के महामंत्री व पार्षद रमेश सोनी एवं दाहरसेन मंडल के अध्यक्ष व पार्षद दीपेन्द्र लालवानी, पंचायत समिति सदस्य अरूणा टांक, लोकेंद्रसिंह, भगवानसिंह, अजीतसिंह, सुनील मेघवाल, देवेंद्रसिंह शेखावत आदि भी मौजूद रहे।


## कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ ( अजमेर ) राज.

क्रमांक- नपकि/कृषि भूमि नियमन/2022/1181 दिनांक- 13-6-2022

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हरकरणराम पुत्र श्री हजारीराम निवासी सरदार सिंह की ढाणी रोड, करणी मन्दिर के पास शान्ति नगर, मदनगज किशनगढ़ जिला-अजमेर राजस्थान द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज खसरा संख्या 102 में भूखण्ड सख्या 135 का क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज में आवंटन/नियमन हेतु परिषद में आवेदन प्रस्तुत हुआ है। आवेदक द्वारा समस्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किये है जो पंजीकृत/ उक्त आवेदक को भूखण्ड नियमन/आंवटन किये जाने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का ऐतराज हो तो सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि प्रमाणित साक्ष्य सहित लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद किसी भी व्यक्ति/ संस्था का किसी प्रकार का एतराज स्वीकार योग्य नहीं होगा एवं आवेदक के पक्ष में उक्त वर्णित खसरा संख्या 102 में भूखण्ड सख्या 135 का क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज का नियमन /आंवटन करने की कार्यवाही कर दी जायगी। अत: सूचित रहें। आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

## कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर ( राज. )

क्रमांक : न.प.कि/PWC/2022/538 दिनांक : 13.06.2022

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री रामावतार चोटया द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज भूखण्ड सं. ए-129 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज, खसरा सं. 534, 526/2, 528, 539/1 मयूरासिटी मदनगंज-किशनगढ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व : भूखण्ड सं. 162 व 163 — पश्चिम : 40' आम रास्ता
उत्तर : भूखण्ड सं. ए-130 — दक्षिण : भूखण्ड सं. ए-128

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करें बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

## कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर ( राज. )

क्रमांक : न.प.कि/PWC/2022/540 दिनांक : 13.06.2022

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री श्रीकिशन, द्वारा राजस्व ग्रम फरासिया भूखण्ड सं. क्षेत्रफल 287.33 वर्गगज, खसरा सं. फरासियामदनगंज-किशनगढ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व : सतीश मीणा का मकान — पश्चिम : जय किशन का मकान
उत्तर : 15' आम रास्ता — दक्षिण : रामचन्द्र का मकान

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करें बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

## कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अरांई

प्रकरण संख्या - 06/2022

**आपत्ति आमंत्रण**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गजेन्द्र कुमार जैन पुत्र गणेशमल जाति जैन निवासी दादिया तहसील अराई हाल निवासी 137, खेराबाद रोड़ रामगंज मण्डी, जिला कोटा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम दादिया स्थित खसरा नम्बर 1468, 1469, 1499 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7718 हैक्ट. सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.9708 हैक्ट सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.5906 हैक्ट में हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 1470 1493 कुल किता 2 कुल रकबा 1.8769 हैक्ट में से हिस्सा 1/2 भूमि में मृतक खातेदार गणेशमल पुत्र गुमानमल जाति जैन निवासी दादिया हाल निवासी 15, तेली मौहल्ला मदनगंज किशनगढ के द्वारा की गयी रजिस्टर्ड वसीयत अनुसार नामान्तरकरण करने हेतु निवेदन किया जिसका नामान्तरकरण हेतु राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135( 2 ) के तहत प्रकरण संख्या 06/2022 मेरे न्यायालय में विचाराधीन है। इस वसीयत के सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति / हितबद्ध पक्षकारान को किसी भी प्रकार का उज्र/एतराज हो तो आम सूचना प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर असालतन या वकालतन के कार्यालय समय में हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित मे आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया जावेगा। तहसीलदार ( भू.अ. ) अरांई ( अजमेर )



## कार्यालय– सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कुचील, ब्लॉक – किशनगढ़, अजमेर

@-phckuchil@gmail.com

क्रमांक– आरएमआरएस/2022/54 दिनांक 13/06/2022

**बोली आमंत्रण सूचना**

श्रीमान विशिष्ट शासन सचिव चिकि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एनएचएम के आदेश क्रमांक एफ–7/एनआरएचएम/एमएच/2016/765 दिनांक 5.5.16 द्वारा दिये दिशा निर्देश एवं राजस्थान मेडिकेयर सोसायटी कुचील की अभिशंषा के फलस्वरूप इस चिकित्सालय में डिलिवरी प्वाईट सफाई कार्य हेतु खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्टत पंजीकृत बोलीदाता/संवेदको से निम्नलिखित प्रकार से तकनीकी एवं वित्तिय पृथक–पृथक मोहरबंद बोली आमंत्रित की जाती है।

| विवरण | अनुमाति लागत (रुपए में) | अमानत राशि | धरोहर राशि (रुपए में) | निविदा शुल्क (रुपए में) | निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि व समय | भरी हुई निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय | निविदा खोलने की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डिलीवरी प्लाईट सम्पूर्ण चिकित्सालय परिसर व भवन की सफाई कार्य निविदा (2 सफाईकर्मी एवं सामग्री) | 2.40 लाख | 4800/– | 7200/– | 200/– | 20.6.2022 सायं 5.00 बजे तक | 20.6.2022 सायं 5.00 बजे तक | 21.6. 2022 दोपहर 2.00 बजे |

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज sppp.rajasthan.nic.in पर एवं कार्यालय में कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

नोट– भरी हुई निविदा अध्यक्ष, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी,किशनगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक– 21.06.2022 दोपहर 2.00 बजे कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी,किशनगढ़ में खोली जायेगी।

NIB Code MHS2223A0853
UBN No. MHS2223SSOB01451

सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, रा. आदर्श प्रा. स्वा. केन्द्र कुचील



## कार्यालय नगर पालिका, केकडी ( जिला-अजमेर )

Email ID - npkekri2011@gmail.com Ph.(0) : 01467-220019,
website: www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri

क्रमांक : न.पा.के./कृ.भू.रू./भू उपयोग/2022-23/1098 दिनांक 3.6.2022

**आम सूचना**

सर्वहितधारको एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में पैरा फेरी क्षेत्र में स्थित आराजी खसरा नं 736/539 के संदर्भ में अकृषि प्रयोजनार्थ प्रस्तावित उपयोग हेतु राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना F.3(77)UDH/3/2010 Part जयपुर दिनांक 18.08.2020 में मार्गाधिकार एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार हेतु किये गये प्रावधानों में बिन्दु सं. 3 अनुसार यदि किसी सडक/विद्यमान राजस्व रास्ते/कटाव मार्ग का मास्टर प्लान/प्रारूप मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मार्गाधिकार निर्धारण किया जाना है। अत: राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में पैरा फेरी क्षेत्र में स्थित 60 फीट चौडा पहुंचमार्ग निर्धारण हेतु आराजी खसरा नं 148, 339, 147, 144, 309, 334, 310, 312, 313, 323, 332, 333, 321, 554, 553, 552, 315, 551, 549, 548, 498, 546, 540, 499, 503, 504, 513, 476, 515, 537, 535, 138, 131, 736/539, 735/539, 514 उक्त आराजियात में 60 फीट चौडा पहुंचमार्ग का निर्धारण व्यापक जनहित में किया जाना प्रस्तावित है। अत: इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद सूचना प्रकाशन के 10 दिवस में प्रस्तुत करावे। बाद मियाद पालिका द्वारा सडक मार्गाधिकार का निर्धारण कर दिया जावेगा

( बसन्त कुमार सैनी ) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका केकड़ी ( अजमेर )